अध्याय-VI
कर भिन्न प्राप्तियाँ

अध्याय–VI : कर भिन्न प्राप्तियाँ

अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग

6.1 कर प्रशासन

खनिजों का खनन, खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा बनाये गये बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 एवं खनिज रियायत नियमावली, 1960 द्वारा शासित होता है। खान एवं खनिजों का विनियमन एवं विकास, सरकार स्तर पर, आयुक्त–सह–प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा प्रशासित है। विभाग के प्रधान, खान निदेशक होते हैं जिनकी सहायता में एक खान अपर निदेशक और तीन खान उप निदेशक मुख्यालय में होते हैं। पुनः, प्रमंडलीय कार्यालयों में नौ खान उप निदेशक और 14 जिला खनन कार्यालयों में खान सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी जिला स्तर पर स्वतंत्र प्रभार में रहते हैं, जबकि 24 जिला खनन कार्यालयों के प्रभारी खान निरीक्षक होते हैं जो संबंधित जिले में समाहर्ता के अधीनस्थ होते हैं एवं रॉयल्टी तथा अन्य खनन बकायों के निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण हेतु उत्तरदायी होते हैं।

बिहार राज्य में लघु खनिजों जैसे बालू, पत्थर एवं मिट्टी तथा कुछ वृहत् खनिजों जैसे चूना पत्थर, अभ्रख तथा सिलिका इत्यादि हैं। बिहार में खान एवं खनिजों से प्राप्तियों में रॉयल्टी, नियत लगान, भूतल लगान, पट्टा/अनुज्ञा पत्र/पूर्वपेक्षण अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन शुल्क, पूर्व सर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, अर्थदण्ड, बकाये आदि का विलम्ब से भुगतान हेतु जुर्माना तथा ब्याज शामिल है।

6.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2014–15 के दौरान अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग से प्राप्तियों से संबंधित 48 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 35 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान हमने ₹ 184.30 करोड़ से सन्निहित 346 मामलों में राजस्व का नहीं/कम आरोपण, नहीं/कम वसूली एवं अन्य अनियमितताएं पाईं, जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, जैसाकि **तालिका 6.1** में वर्णित है:

तालिका–6.1

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
1.	खनिजों की अवैध अधिप्राप्ति के लिए कार्य संवेदकों के विरूद्ध अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना	46	89.57
2.	रॉयल्टी की वसूली नहीं किया जाना	25	7.28
3.	ईंट भट्ठा मालिकों से रॉयल्टी की वसूली नहीं/कम किया जाना	23	11.05
4.	बालू घाटों की बन्दोवस्ती की अधिसूचना में विलम्ब के कारण राजस्व की हानि	9	14.70
5.	पत्थर खदानों/बालू घाट के बन्दोवस्तधारियों से रॉयल्टी तथा ब्याज की वसूली नहीं किया जाना	16	1.87
6.	निबंधन फीस की वसूली नहीं किया जाना	17	7.09
7.	पत्थर/बालू के अधिक प्रेषण पर रॉयल्टी की वसूली नहीं किये जाने के कारण राजस्व की हानि	19	17.54
8.	बालू घाट के बन्दोवस्ती हेतु डीड का कार्यान्वयन नहीं किया जाना	9	8.92
9.	साधारण मिट्टी के अवैध निष्कासन हेतु अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किये जाने के कारण राजस्व की हानि	26	16.69
10.	अन्य मामले	156	9.59
कुल		**346**	**184.30**

अप्रैल 2014 से अक्टूबर 2015 की अवधि के दौरान विभाग ने 50 मामलों में सन्निहित ₹ 16.93 करोड़ के राजस्व का नहीं/कम आरोपण, नहीं/कम वसूली एवं अन्य अनियमितताओं को स्वीकार किया, इनमें से ₹ 15.50 करोड़ से सन्निहित 42 मामले वर्ष 2014–15 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान इंगित किए गए थे। विभाग ने एक मामले में ₹ 75.01 लाख की वसूली भी प्रतिवेदित की, जिसे वर्ष 2014–15 के दौरान इंगित किया गया था।

दृष्टांतस्वरूप ₹ 60.69 करोड़ के कर प्रभाव से सन्निहित कुछ मामले अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित है।

6.3 अधिनियमों/नियमावलियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना

जिला खनन पदाधिकारियों के अभिलेखों की हमारी संवीक्षा से अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों एवं विभागीय आदेशों का अनुपानल नहीं किए जाने के अनेक मामलों का पता चला, जैसा कि इस अध्याय के अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित है। ये मामले दृष्टान्तस्वरूप हैं तथा हमलोगों द्वारा लेखापरीक्षा में किए गए नमूना जाँच पर आधारित है। विभागीय पदाधिकारियों द्वारा किये गये इन चूकों को लेखापरीक्षा द्वारा प्रत्येक वर्ष इंगित किए गये थे परन्तु ये अनियममितताएँ न केवल निरंतर होती रहीं बल्कि लेखापरीक्षा किये जाने तक पता नही लगा। सरकार के लिए आवश्यक है कि आंतरिक नियंत्रण पद्धति एवं आंतरिक लेखापरीक्षा में सुधार लाए।

6.4 कार्य संवेदकों द्वारा खनिजों की अवैध अधिप्राप्ति हेतु अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना

अन्तर–विभागीय समन्वय के अभाव के फलस्वरूप खनिजों की अवैध अधिप्राप्ति हेतु कार्य संवेदकों के विरूद्ध ₹ 40.76 करोड़ के अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया गया।

हमने फरवरी 2014 एवं जनवरी 2015 के बीच 20 जिला खनन कार्यालयों[1] के राजस्व संग्रहण प्रतिवेदन एवं जिला कोषागार के अभिलेखों से पाया कि वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 की अवधि के दौरान कार्य संवेदकों के विपत्र से रॉयल्टी के रूप में ₹ 40.76 करोड़ की राशि की कटौती कर शीर्ष ''0853–अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग'' के अन्तर्गत कार्य विभाग द्वारा जमा किया गया था। कार्य विभागों ने कार्य संवेदकों द्वारा व्यवहार किये गये खनिजों की विवरणी, संबंधित जिला खनन कार्यालयों को, जाँच हेतु नहीं भेजा था। बजाए कार्य विभागों ने खनिजों के व्यवहार के विरूद्ध कार्य संवेदकों के विपत्रों से रॉयल्टी की कटौती की, जो बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम 40(10) की अवहेलना थी, जो उपबंधित करता है कि कार्य संवेदक सिर्फ पट्टाधारी/अनुज्ञप्तिधारियों तथा अधिकृत व्यवसायी से ही खनिजों का क्रय करेंगे तथा कार्य संवेदकों द्वारा कार्य को पूरा करने में व्यवहृत खनिजों की लागत हेतु जो विपत्र जमा करेंगे, उसे कार्य विभाग तब तक स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक वह विहित प्रपत्र 'एम' तथा ''एन'', जिसमें उस व्यवसायी का नाम एवं पता वर्णित हो, जिससे खनिज का क्रय किया गया था, द्वारा समर्थित न हो। यह इस संभावना की ओर इंगित करता है कि खनिज अनुज्ञप्तिधारी/अधिकृत व्यवसायी से क्रय नहीं किया गया है। पुनः खनन पदाधिकारी, कार्य विभागों द्वारा कटौती किये गये रॉयल्टी की राशि प्राप्त होने पर, खनिजों की अवैध अधिप्राप्ति को रोकने हेतु कोई अग्रेतर कार्रवाई नहीं की तथा खनन पदाधिकारियों ने कम से कम ₹ 40.76 करोड़ की रॉयल्टी के समतुल्य न्यूनतम अर्थदण्ड का माँग कार्य विभागों के माध्यम से कार्य संवेदकों के विरूद्ध सृजित नहीं किया, जैसाकि बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम 40 (8) के साथ पठित खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 (5) के तहत् विहित है, जो उपबंधित करता है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी भूमि से कोई खनिज बगैर कानूनी प्राधिकार के निष्कासित करेगा, तब राज्य सरकार, इस प्रकार निष्कासित खनिज को अथवा जहाँ ऐसे खनिज की खपत पहले ही कर दी गई हो, तब वहाँ उसकी कीमत ऐसे व्यक्ति से वसूल कर सकती है तथा साथ ही उस अवधि के लिये, जिसमें ऐसे व्यक्ति द्वारा बिना कोई प्राधिकार के भूमि का कब्जा किया गया था, उससे किराया, रॉयल्टी अथवा कर, जैसा भी मामला हो, की भी वसूली कर सकती है।

इस प्रकार, अन्तर–विभागीय समन्वय के अभाव में कार्य विभागों के माध्यम से कार्य संवेदकों के विरूद्ध खनिजों की अवैध अधिप्राप्ति को रोकने हेतु अर्थदण्ड का आरोपण नहीं हुआ।

---

1 औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, बेतिया, भागलपुर, गया, गोपालगंज, जमुई, कैमुर, खगड़िया, किशनगंज, नालन्दा, नवादा, पटना, रोहतास, सहरसा, शेखपुरा, सारण, सीवान एवं वैशाली।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (जुलाई 2015) कि बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली का नियम 40(10) स्पष्ट रूप से उपबंधित करता है कि जब कार्य विभाग द्वारा खपत की गई खनिजों हेतु रॉयल्टी का भुगतान कर दिया गया हो, जैसा कि शपथपत्र में दर्शाया गया हो, तब संबंधित खनन पदाधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, जैसा कि नियमावली में विहित है। विभाग का उत्तर उपरोक्त नियमावली के नियम 40(10) के अनुरूप नहीं है क्योंकि कार्य संवेदकों ने प्रपत्र 'एम' में शपथपत्र और प्रपत्र 'एन' में खनिजों का विवरण प्रस्तुत नहीं किया था।

हालाँकि विभाग ने पुनः कहा (जुलाई 2015) कि बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के नियम 40(10) के प्रावधानों के अनुपालन हेतु संबंधित कार्य विभागों को इस संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश दे दिये गये हैं। पुनः जून 2015 में हुये लोक लेखा समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में प्रपत्र 'एम' तथा प्रपत्र 'एन' का ऑन–लाईन सत्यापन एवं अन्तर–विभागीय समन्वय स्थापित करने हेतु एक प्रारूप तथा रोड मैप एवं कार्य योजना बनाने के लिये एक समिति गठित कर दी गई है।

6.5 पत्थर के अधिक प्रेषण पर रॉयल्टी की कम वसूली

पट्टेधारियों द्वारा दाखिल मासिक विवरणी के सत्यापन में खनन पदाधिकारियों की निष्क्रियता के फलस्वरूप पत्थर के अधिक प्रेषण हेतु ₹ 1.19 करोड़ के रॉयल्टी की कम वसूली हुई।

तीन जिला खनन कार्यालयों (बांका, गया एवं नवादा) में पत्थर खदानों के 138 पट्टों में से 29 संचिकाओं तथा पट्टेधारियों द्वारा दाखिल मासिक विवरणियों की नमूना जाँच में हमने मई एवं सितम्बर 2014 के बीच पाया कि 12 पत्थर खदानों की नीलामी नवम्बर 2007 एवं जुलाई 2009 के बीच ₹ 3.58 करोड़ में की गई थी। पट्टेधारियों ने ₹ 5.83 करोड़ मूल्य के 8.49 लाख घनमीटर खनिज (पत्थर, मोरम एवं डस्ट) नवम्बर 2007 और मार्च 2014 की अवधि के दौरान प्रेषित किये थे, जिसके विरूद्ध उन्होनें मात्र ₹ 4.64 करोड़ का ही भुगतान किया था, जो बन्दोवस्ती के स्वीकृत्यादेश के प्रावधानों का उल्लंघन था, जो उपबंधित करता है कि बन्दोवस्तधारी को डाक राशि के समतुल्य मात्रा से अधिक मात्रा में पत्थर के निष्कासन एवं प्रेषण हेतु अतिरिक्त रॉयल्टी का भुगतान करना होगा। पट्टेधारियों द्वारा दाखिल मासिक विवरणी के सत्यापन, जैसाकि बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम 26(6) में विहित है, में खनन पदाधिकारियों की निष्क्रियता के फलस्वरूप ₹ 1.19 करोड़ की रॉयल्टी की कम वसूली हुई।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (जुलाई 2015) कि गया और नवादा के मामलों में आठ पट्टेधारियों से ₹ 95.01 लाख की वसूली कर ली गई है तथा बाँका में पट्टेधारी के विरूद्ध ₹ 7.70 लाख, जिसमें अद्यतन ब्याज की राशि भी शामिल है, हेतु माँग पत्र निर्गत की गई है। हम बाँका के मामले में आगे की कार्रवाई तथा गया जिले के शेष तीन पट्टेधारियों के मामले में उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2015)।

6.6 पत्थर खदानों के पट्टेधारियों से रॉयल्टी एवं ब्याज की कम वसूली

पत्थर खदानों के पट्टेधारियों से डाक राशि की वसूली में खनन पदाधिकारियों की निष्क्रियता के फलस्वरूप रॉयल्टी एवं ब्याज की कम वसूली हुई।

दो जिला खनन कार्यालयों (बांका एवं गया) में 12 पत्थर, खदानों के पट्टों की संचिकाओं के नमूना जाँच में हमने मार्च एवं सितम्बर 2014 के बीच पाया कि आठ पत्थर खदानों की नीलामी अगस्त 2007 एवं मई 2009 के बीच की अवधि के दौरान ₹ 2.24 करोड़ में की गई थी। बन्दोवस्तधारियों को वार्षिक आधार पर किस्तों का भुगतान करना था, जो जनवरी 2013 तक ₹ 1.75 करोड़ हो गया था, जिसके विरूद्ध बन्दोवस्तधारियों ने फरवरी 2009 एवं मई 2013 के बीच कुल ₹ 1.20 करोड़ ही जमा किये थे, जो बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम 52(1), (4) एवं (5) के प्रावधानों का उल्लघंन था, जो उपबंधित करता है कि डाक राशि समान किस्तों में वार्षिक आधार पर जमा किया जायेगा तथा प्रत्येक किस्त 31 जनवरी से पहले जमा करना होगा। इसके फलस्वरूप ₹ 54.82 लाख के रॉयल्टी की कम वसूली हुई। पुनः रॉयल्टी के विलम्ब से भुगतान हेतु ब्याज भी आरोप्य है, जो उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार ₹ 6.84 लाख होती थी। रॉयल्टी की वार्षिक किस्त के कम भुगतान के बावजूद खनन पदाधिकारियों द्वारा बन्दोवस्तधारियों के विरूद्ध पट्टे को रद्द करने हेतु कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई थी।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (जुलाई 2015) कि गया जिले के दोनों मामलों में वर्ष 2015–16 में नीलाम–पत्र दायर कर दिया गया है, बाँका जिले के तीन मामलों में जुलाई 2014 एवं जुलाई 2015 के बीच माँग पत्र निर्गत कर दी गई है तथा शेष मामलों में नीलाम–पत्र दायर कर दी जायेगी। इन सभी मामलों में माँगपत्र लेखापरीक्षा द्वारा ईंगित किये जाने के बाद निर्गत की गई थी। हम स्वीकृत मामलों में वसूली तथा शेष मामलों में आगे की कार्रवाई हेतु प्रतिक्षित हैं (अक्टूबर 2015)।

6.7 बालू घाटों की बन्दोवस्ती पर निबंधन फीस एवं मुद्रांक शुल्क की नहीं/कम वसूली

बालू घाटों के बन्दोवस्तधारियों से ₹ 11.49 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस की वसूली नहीं की गई थी।

दस जिला खनन कार्यालयों[2] में बालू घाटों की बन्दोवस्ती संचिकाओं से हमने फरवरी एवं मई 2014 के बीच पाया कि वर्ष 2010 से 2012 के दौरान 14 बालू घाटों की बन्दोवस्ती 19 बन्दोवस्तधारियों के साथ ₹ 277.43 करोड़ में तीन कैलेण्डर वर्षो के लिए अगले लगातार वर्षों के लिये बन्दोवस्ती राशि की 20 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, की गई थी। बालू घाटों की बन्दोवस्ती तीन वर्षों के लिये की गई थी, परन्तु एकरारनामा प्रत्येक वर्ष किया गया था। एकरारनामा भी तीन वर्षों के लिये किया जाना चाहिये था। अगर एकरारनामा भी तीन वर्षों के लिये किया जाता, तब सरकार को भारतीय निबंधन अधिनियम की धारा 17(1) (डी), जो उपबंधित करता है कि किसी अचल सम्पति के लीज दस्तावेजों का साल–दर–साल अथवा एक वर्ष से अधिक किसी अवधि के लिये निबंधन कराना होगा, के प्रावधान के तहत् निबंधन फीस के रूप में ₹ 11.10 करोड़ मिल सकता था। इसके अलावे चार बन्दोवस्तधारियों से भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 3 के प्रावधान के अनुसार ₹ 39.00 लाख के मुद्रांक शुल्क की वसूली भी नहीं की गई थी।

---

2 अरवल, बांका, भोजपुर, जमुई, नालन्दा, नवादा, पटना, रोहतास, सारण एवं वैशाली।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (जुलाई 2015) कि भारतीय निबंधन अधिनियम के अनुसार एक वर्ष के विलेख का निबंधन ऐच्छिक था। पुनः यह कहा गया कि बालू घाटों की बन्दोवस्ती वार्षिक आधार पर की गई थी तथा तीन प्रतिशत की दर पर मुद्रांक शुल्क की वसूली कर ली गई थी। विभाग का उत्तर इस तथ्य के अनुरूप नहीं है कि बालू घाटों की बन्दोवस्ती तीन वर्षों के लिये की गई थी। पुनः विभाग के उत्तर की संवीक्षा से हमने पाया कि मुद्रांक शुल्क के भुगतान हेतु खनन पदाधिकारी, बाँका ने एक मामले में ₹ 1.65 लाख के लिये माँग पत्र निर्गत कर दिया था तथा खनन पदाधिकारी, नालन्दा ने एक मामले में ₹ 11.34 लाख के लिये नीलाम–पत्र वाद दायर कर दिया था। इस प्रकार, बन्दोवस्ती की पूर्ण अवधि हेतु एकरारनामें का कार्यान्वयन नहीं किये जाने के कारण सरकार निबंधन फीस के रूप में ₹ 11.10 करोड़ के राजस्व से वंचित रहा।

6.8 साधारण मिट्टी के अवैध उपयोग हेतु अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना

आवश्यक उत्खनन परमिट प्राप्त किये बगैर साधारण मिट्टी के निष्कासन हेतु कार्य संवेदकों पर ₹ 6.64 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया था।

आठ जिला खनन कार्यालयों[3] में पट्टा संचिका/बैंक ड्राफ्ट रजिस्टर के अवलोकन से हमने फरवरी एवं सितम्बर 2014 के बीच पाया कि अप्रैल 2012 से मार्च 2014 की अवधि के दौरान कार्य संवेदकों द्वारा मिट्टी कार्य में खनिज के उपयोग हेतु रॉयल्टी के रूप में ₹ 6.64 करोड़ की कटौती/जमा की गई थी। हमने पुनः पाया कि कार्य संवेदकों, जिन्होंने लघु खनिज का निष्कासन किया था, ने इसके लिये आवश्यक उत्खनन परमिट हेतु आवेदन नहीं दिया था, जो बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के नियम 27 एंव 28 के प्रावधानों की अवहेलना थी, जो उपबंधित करता है कि किसी भी उत्खनन कार्य के लिये अपेक्षित फीस का भुगतान कर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक है। अतः संवेदकों ने मिट्टी का अवैध रूप से निष्कासन किया था, जिसके लिये उपरोक्त नियमावली के नियम 40(8), जो अवैध खनन हेतु अर्थदण्ड विहित करता है, जिसमें खनिज का मूल्य, लगान, रॉयल्टी अथवा कर, जैसा भी मामला हो, की वसूली शामिल है उपबंधित करता है, के अनुसार कम से कम ₹ 6.64 करोड़ के रॉयल्टी के समतुल्य न्यूनतम अर्थदण्ड का भुगतान करने हेतु दायी थे। हालाँकि संबंधित खनन पदाधिकारियों ने न तो ₹ 6.64 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित किया और न ही बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के नियम 40(1) के प्रावधान के अनुसार कोई आपराधिक दण्ड प्रक्रिया की कार्यवाही प्रारंभ की।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (जुलाई 2015) कि साधारण मिट्टी (लघु खनिज) हेतु रॉयल्टी का भुगतान कर दिया गया था तथा कार्य का कार्यान्वयन सरकारी हित में पथों के निर्माण हेतु किया गया था, अतः बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के नियम 40(10) के प्रावधान के तहत् अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया था। विभाग का उत्तर उपरोक्त नियमावली के नियम 40(1) के प्रावधान के अनुरूप नहीं है, जो उपबंधित करता है कि आवश्यक उत्खनन परमिट लिये बगैर साधारण मिट्टी का खनन अवैध है एवं इस प्रकार उपरोक्त नियमावली के नियम 40(8) के तहत् अर्थदण्ड आरोप्य था। पाँच खनन पदाधिकारियों (औरंगाबाद, भागलपुर, जमुई, नालन्दा एवं रोहतास) ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के बाद अर्थदण्ड के भुगतान हेतु माँग पत्र भी निर्गत किया था।

---

3 औरंगाबाद, भागलपुर, जमुई, नालन्दा, रोहतास, सारण, सीवान एवं वैशाली।

6.9 आंतरिक लेखापरीक्षा

किसी भी विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक विशेष साधन है, जिसे साधारणतया सभी नियंत्रणों का नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें एक संगठन को यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है कि सभी विहित प्रणालियाँ सुचारू रूप से कार्य कर रही है। आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध, जिसे वित्त (लेखापरीक्षा) कहा जाता है, वित्त विभाग के अंतर्गत कार्य करता है तथा विभिन्न कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा, प्रशासनिक विभागों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर किया जाता है। मुख्य लेखा नियंत्रक भी लेखापरीक्षा दल की उपलब्धता पर आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु इकाइयों का चयन कर सकते हैं। वित्त विभाग द्वारा दी गई (जुलाई 2015) सूचना के अनुसार वर्ष 2014–15 के दौरान उसने खान एवं भूतत्व विभाग का कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं किया था।

पटना **(पी0 के0 सिंह)**
दिनांक: **महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**
दिनांक: **भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक**